मु. नं. 127/2022 बनाम V/S बनेसिंह
प्रा० पत्र 212 R.T. Act

28-1-22 अधिवक्ता [illegible] पक्ष उपस्थित। अभि[illegible] कार्य स्थगित रखा [illegible] अधिकारी अन्य कार्य [illegible] है। अतः पत्रावली दिनांक 12-12-22 को पेश हो।

12/12/22 आज विपक्षी अथवा अधिवक्ता की तामील प्राप्त हुई। अतः अग्रिम कार्यवाही दिनांक 2/1/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

2-1-23 वकुलाये फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर है। प्रशा[illegible] में व्यस्त है। पत्रावली दि. 23-1-23 को पेश हो।

23-1-23 अधिवक्ता [illegible] पक्ष उपस्थित। अभि[illegible] कार्य स्थगित रखा [illegible] अधिकारी अन्य कार्य [illegible] है। अतः पत्रावली दिनांक 3-2-23 को पेश हो।

3/2/23 आज विपक्षी अथवा वादी अधिवक्ता ने अपना 'वाद' वापस लेने की अनुमति के साथ वापिस करवा लिया है। अब कार्यवाही 212 R.T. Act चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली खारिज किया जाता है। निर्णित कमरे में दर्ज रजिस्टर में दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)